B. Com. (HONS)
P2 - A/cs (H)
Paper - IV
CORPORATE ACCOUNTING

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

UNIT - I

ISSUE OF DEBENTURES

DEBENTURE :- सामान्यतः एक कंपनी दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति हेतु दो विधियों का प्रयोग करती है - एक अंशों के निर्गमन द्वारा तथा दूसरा ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा. कोई भी कंपनी अपनी अधिकृत अंश पूँजी से अधिक रकम के अंश ~~[illegible]~~ निर्गमित नहीं कर सकती. अतः किसी समय कंपनी को जब अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी जनता से ऋण ले सकती है. ~~[illegible]~~ ऋण लेने के लिए कंपनी के द्वारा अंशों की तरह ही ऋणपत्र जारी किये जाते हैं. इससे प्राप्त की गई राशि को ऋणपूँजी कहा जाता है.

वास्तव में, ऋणपत्र कंपनी द्वारा जनता से दीर्घकालीन ऋण लेने का एक साधन है. यह एक ऐसा प्रमाण-पत्र है जो इस बात को बताता है कि कंपनी ने धारक के पक्ष में उल्लेखित अवधि के लिए एक निश्चित प्रतिशत ब्याज पर ऋण लिया है. ऋणपत्र को कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है -

1. शेखमन के अनुसार - "ऋणपत्र एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा ऋणपत्र के धारक से प्राप्त ऋण के बदले प्रमाण के रूप में दिया जाता है, जो सामान्यतः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है."

2. पामर के अनुसार - "ऋणपत्र कंपनी की मुहर के अंतर्गत निर्गमित प्रपत्र है, जिसका मूल तत्व ऋण की स्वीकृति है."

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(30) के अनुसार - "ऋणपत्रों में ऋण को बताने वाले ऋणपत्र.

Scanned with CamSc

स्टॉक, बॉण्ड्स या कंपनी की अन्य प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं चाहे ही वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव रखती है या नहीं।"

इस प्रकार उक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि - ऋणपत्र कंपनी के सार्वमुद्रा के अंतर्गत निर्गमित एक ऐसा प्रमाण पत्र है और इस बात का साक्ष्य है कि कंपनी ने धारक से एक निश्चित ब्याज की दर पर एक निश्चित अवधि के लिए दीर्घकालीन ऋण लिया है। चूँकि ऋणपत्र के धारक ऋणदाता होते हैं, इसलिए इन्हें लेनदार कहा जाता है। इन्हें लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कंपनी की सभा में न तो भाग ले सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं।

ऋणपत्र की विशेषताएं

ऋणपत्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

(i) ऋण का लिखित प्रमाण-पत्र होना।
(ii) सार्वमुद्रा के अधीन निर्गमित होना।
(iii) पुनर्भुगतान की अवधि अंकित होना।
(iv) ऋणपत्रधारी कंपनी के लेनदार (महाजन) होना
(v) ऋणपत्र का निर्गमन — सममूल्य, प्रीमियम या कटौती पर होना।
(vi) पूर्व निर्धारित, निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होना।
(vii) ऋण पत्र से प्राप्त पूँजी ऋण पूँजी के रूप में होना तथा।
(viii) कंपनी द्वारा स्वयं ऋण पत्रों का क्रय करना।

Scanned with CamSc

अंश एवं ऋणपत्र में अंतर
Difference Between Share and Debenture.

	आधार	अंश	ऋणपत्र
1.	स्वभाव	यह कंपनी की पूँजी का एक भाग होता है, अर्थात् ये स्वामित्व पूँजी स्वभाव के होते हैं।	जबकि यह कंपनी के ऋण का एक भाग होता है. अर्थात् ये ऋणात्मक पूँजी स्वभाव के होते हैं।
2.	धारक	इसके धारक को कंपनी में अंशधारी कहा जाता है जो मालिक होते हैं।	जबकि इसके धारक को कंपनी में ऋणपत्रधारी कहा जाता है जो लेनदार होते हैं।
3.	प्रत्याय (Return)	इसके धारक को विनियोजित राशि पर लाभांश दिया जाता है।	जबकि इसके धारक को उनके विनियोजित राशि पर ब्याज दिया जाता है।
4.	दर (Rate)	अंश पर लाभांश की दर समय-2 पर बदलती रहती है।	जबकि इस पर लाभांश की दर स्थिर रहती है।
5.	सुरक्षा	इसके धारक सुरक्षित नहीं होते हैं।	जबकि इसके धारक सुरक्षित होते हैं।
6.	भुगतान	इसके धारक को विनियोग कर समय, अंशधारी का भुगतान कंपनी के जीवनकाल में नहीं होता है।	जबकि इसका निर्गमन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, अतः अवधि पूर्ण होने पर भुगतान कर दिया जाता है।

Scanned with CamSc

आधार	अंश	ऋणपत्र
7. प्रबंध में हिस्सा:	अंश के धारकों को कंपनी की सभा व प्रबंध में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है।	जबकि इन्हें सभा व प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है।
8. वोट देने का अधिकार।	अंश के धारक को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है।	जबकि ऋणपत्र के धारक को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
9. बंधक ~~Mortgage~~ (Mortgage)	अंश कभी भी बंधक अंश के रूप में नहीं हो सकता है।	जबकि ऋणपत्र, बंधक ऋणपत्र के रूप में हो सकता है।
10. प्रकार (Kinds)	अंश प्रायः दो ही प्रकार के होते हैं - एक पूर्वाधिकार अंश तथा दूसरा समता अंश।	जबकि ऋणपत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं —
11. परिवर्तन	अंशों को ऋणपत्रों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।	जबकि ऋणपत्रों को अंश पत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है।
12. प्राथमिकता	कंपनी समापन की स्थिति में इनका भुगतान ऋणपत्र धारियों एवं अन्य दावों के भुगतान के बाद किया जाता है।	जबकि इन्हें अंशधारियों के भुगतान के पूर्व भुगतान प्राप्त करने की प्राथमिकता होती है -